


आदेश  
 5-3-23  
 म. 10/23

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12-1-24	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपर        है वकील प्रार्थी द्वारा बहस में        तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के        अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने        पर सहमति व्यक्त की। तहसीलदार        नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया        तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट दिनांक        05/23 के अनुसार वर्तमान खसरा        नं. 1867/755 की तरमीम का ILRMP        योजना अन्तर्गत मुताबिक कब्जा अनुसार        न होकर सहवन से गलत हो गई है।        प्रार्थी मिल स्थान पर काबिज है वह        वर्तमान में सिवायचक्र दर्ज रिफार्ड है।        तहसीलदार नैनवां ने कब्जानुसार        तरमीम संशोधित किये जाने खाता        अनुशंसा सहित अनापत्ति का अर्जन        किया है।        हमने शुष्पत्र शपथ-पत्र अर्जित        रिफार्ड दस्तावेज आदि का अवलोकन        किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट        का अवलोकन किया। तहसीलदार नैनवां        की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खसरा नं.        1867/755 की तरमीम का ILRMP योजना        अन्तर्गत सहवन से गलत दर्ज हुई है।        अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार        किया जाता है। ग्राम कौरमा पटवार मण्डल        कौरमा तहसील नैनवां की खाता संख्या        117 की भूमि खसरा संख्या 1867/755        की तरमीम परिशिष्ट "क" के अनुसार,        जो इस निषेध का अभिन्न अंग होगा,</p>	



*(Signature)*  
 उपस्थित अधिकारी  
 नैनवा (पुर्वी)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अदालत हुकम की में जारी हुआ
	<p>शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसलशुमार की जाकर बाद बकमील दाखिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">   <b>हपस्राफ़ अधिकारी</b>  <b>नैनदा (बून्दी)</b> </p>	

3/1/2018  
मस

